20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

188

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0) ग्वालियर म0प्र0

निगरानी क्रमांक-   सन्-2013

संध्या सोनी पुत्री श्री देवीशरण सोनी

निवासी ग्राम बसोठा तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 ..निगरानीकर्ता

बनाम

1- रामराज मिश्रा तनयश्री नंद किशोर मिश्रा

द्वारा मुख्त्यारनामा अजय कुमार मिश्रा निवासी -

ग्राम बसोठा तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

2- केशकली पत्नी श्री बिन्द्रा अहिरवार

निवासी ग्राम पीरा तह0 राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

3- म0प्र0 शासन ..   .. गैर निगरानीकर्तागण

R-1490-II/13

के.के. त्रिवेदी 16.4.13

16.4.13

16.4.13 K.K. DWIVEDI

यह निगरानी न्यायालय अनुवि
अधिकारी तहसील राजनगर द्वारा
69/अपील/2011-12 में पारित
दिनांक- 30.03.13 से असंतुष्ट हो
भू राजस्व संहिता 1959 (संशोधन
2011) की धारा 50 के अन्तर्गत
की गई है ।

मान्यवर,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि - निगरानीकर्ता तथा गैर निगरानीकर्ता क्र0-1 के नाम कृषि भूमि स्थित ग्राम पीरा ख0नं0- 1451/1/2/क/2 तथा ख0नं0- 1451/1/2/1 राजस्व अभिले

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1490-दो/2013 जिला छतरपुर संध्या विरूद्ध रामराज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 69/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30-03-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 16-04-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 18.1.19
सदस्य